



प्रेस नोट थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर



सराहनीय कार्य दिनांक 22.10.2025

“थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ सम्बन्धित अभियोग में वाँछित

अभियुक्त को किया गिरफ्तार, गांजा हुआ बरामद”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.10.2025 को थाना पुवायाँ पर वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0स0 766/25 धारा 76 बीएनएस व 7/8 पास्को एक्ट के विवेचक मय पुलिस बल के मुकदमा उपरोक्त की एसआईडी बनाने के लिए वादी के घर पर पहुँचे। वादी के घर के सामने ही अभियुक्त की दुकान व मकान स्थित है। दुकान का आधा शटर खुला हुआ देख कर पुलिस टीम द्वारा दुकान के पास जाकर शटर उठाकर देखा तो अभियोग में नामित अभियुक्त जलालुद्दीन पुत्र खैराती उम्र करीब 60 वर्ष, नि0मो0 कसभरा तकिया, कस्बा व थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर अपनी दुकान में बैठा मिला। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर समय 05.53 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त के कब्जे से 1.158 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जलालुद्दीन पुत्र खैराती उम्र करीब 60 वर्ष नि0मो0 कसभरा तकिया, कस्बा व थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 767/2025 धारा 08/20 NDPS Act थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:-

दिनांक घटना 22.10.2025 समय 05.53 बजे, अभियुक्त की दुकान मौकसभरा तकिया, कस्बा व थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

एक काली पिन्नी में 1 किलोग्राम 158 ग्राम गांजा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त का विवरण:-

1. मु0अ0स0 766/25 धारा 76 बीएनएस व 7/8 पास्को एक्ट थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

2. मु0अ0स0 767/2025 धारा 08/20 NDPS Act थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

पूछताछ का विवरण -

जलालुद्दीन पुत्र खैराती नि0मो0 कसभरा तकिया, कस्बा व थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 60 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मैं मो0 कसभरा तकिया, कस्बा व थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ तथा गांजा बेचकर मैं कुछ पैसे कमा कर अपना घर चला लेता हूँ। मैं नहीं जानता की कौन कौन मुझसे गांजा खरीदता है तथा लेकर जाता है मुझे एक अज्ञात व्यक्ति गांजा देकर जाता है जिसने कभी अपना नाम पता नहीं बताया था। मुझे गांजा बेचने से मतलब है जिससे मेरी कुछ कमाई हो जाती है तथा दिनांक 21.10.25 को मेरे द्वारा मोहल्ले बच्ची जो मेरी दुकान पर चिप्स लेने आयी थी, को चाकलेट का लालच देकर उसके कपड़े फाड़कर अश्लील हरकत की थी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

व0उ0नि0 राकेश सिंह

उ0 नि0 श्री अजीत सिंह

हे0का0 180 धीरेन्द्र प्रताप

का0 2485 तरुण कुमार